संख्या–42/81–7–2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 **लखनऊ : दिनांक : 19 जनवरी, 2023**

विषय– उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1411/87–755–अति0ऊ0स्रो0वि0/2022, दिनांक 28.11.2022 एवं अनुस्मरण पत्र संख्या–1531/87–755–अति0ऊ0स्रो0वि0/2022, दिनांक 26.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 में विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित प्राविधान को लागू कराये जाने के संबंध में अपेक्षित शासनादेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया था :–

13.8–समस्त सौर विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में छूट होगी।

13.9–ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना सौर संचालन की सहमति/ एनओसी प्राप्त करने में छूट होगी।

2– इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 के **बिन्दु संख्या–13.8–समस्त सौर विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में छूट होगी के संबंध में** पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1108/पर्या0/सामान्य/2022, दिनांक 10.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची में उल्लिखित परियोजनाओं/क्रियाकलापों के निर्माण/खनन/प्रक्रिया परिवर्तन/विस्तार के पूर्व, अधिसूचना के प्राविधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया है।

Category	Name of Activity
1(a)	Mining of Minerals
1(c)	River Valley Projects
1(d)	Thermal Power Plants
3(a)	Metallurgical Industries (ferrous & nonferrous)
3(b)	Cement Plants
4(f)	Skin/hide processing including tanning Industry
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and Intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)
5(g)	Distilleries

5(h)	Integrated paint industry
5(j)	Pulp & paper industry
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/petrochemical products), passing through national parks/sanctuaries/coral reefs/ ecologically sensitive areas including LNG Terminal
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)
7(c)	Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.
7(d)	Common Hazardous Waste Treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)
7(f)	Highways
7(g)	Aerial ropeways
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)
8(a)	Building and Construction projects
8(b)	Townships and Area Development Projects

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पूर्व–पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं किया गया है। साथ ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA.II(I), दिनांक 30.06.2011 व पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA.II(I), दिनांक 07.07. 2017 तथा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–320@14@2017-NSW, दिनांक 14.08.2017 की प्रति भी अवलोकनीय है।

3– उक्त नीति के **बिन्दु संख्या–13.9–ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना सौर संचालन की सहमति/एनओसी प्राप्त करने में छूट होगी के संबंध में** उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–जी–39696/सी–3/एनओसी–नोडल 96/22, दिनांक 13.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से सशर्त अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–39691/सी–3/एन.ओ.सी.–नोडल/2022, दिनांक 12.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है।

कृपया उक्त वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

Fax No. 24367329

(118)

No.J-11013/41/2006-IA.II(I)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhavan,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003.
Telefax: 24362434

Dated the 30th June, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Environment Clearance for setting up of Solar Thermal Power Plants under JNNSM – applicability of EIA Notification, 2006 – Regarding.

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has brought to the notice of this Ministry that the State Pollution Control Boards have been asking for obtaining prior environment clearance in respect of Solar Thermal Power Projects as according to them, these projects get covered under Category 8(b) of the schedule to the EIA Notification, 2006. The matter has been examined in the Ministry of Environment & Forests. In the light of the technical and scientific information provided by MNRE vide their letter no. 29/1(1)/2011-12/JNNSM(ST) dated 22.6.2011 (copy enclosed).

It is clarified that Solar Thermal Power Projects are not covered by the provisions of EIA Notification, 2006. However, keeping in view the extent of land required for such projects, it has been decided that:

- State Pollution Control Board / UTPCC before issuing consent to establish under Air and Water Act to such units may ensure and satisfy themselves by undertaking a site visit that the proposed area does not involve; (i) any wet land, (ii) any agriculture land, (iii) ecologically sensitive area, (iv) areas rich in bio-diversity, (v) areas with large habitation. In case, any displacement of habitation is involved, the requisite R&R and CSR should be put in place as per the norms of the respective State Government. Further, if the area involves any forestland, it needs to be ensured that the requisite prior forestry clearance for diversion of forestland has also been obtained under FC Act.
- In addition, the site should also conform to the provisions of the CRZ Notification, 2011. Under the CRZ Notification, 2011, this activity will be prohibited in the CRZ area.
- It also needs to be ensured that the requisite prior commitment from the Competent Authority for availability of requisite quantity of water for the project is available with the proponent.
- The land so made available for the solar thermal power plant will not be deviated for any other purpose and no change of land use what so ever will be permitted without obtaining requisite clearance from the Competent Authority as applicable.
- No other clearances as may be applicable from other Regulatory Authorities under various Rules and Regulations inter-alia consent under HSM Rules etc. should be available before issue of consent by the SPCB.

3. Further, CPCB will, separately, make a study on some illustrative aspects of the actual environmental impacts of these Solar Thermal Power Plants and Solar Photovoltaic Plants with a view to report to MoEF during and after setting up of these plants i.e. construction phase and implementation phase. The SPCBs may also be kept involved in such studies to be undertaken by CPCB.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Dr. S.K. Aggarwal)
Director

To

1. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Block no. 14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003.
2. All the Officers of IA Division
3. Chairpersons / Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs
4. Chairman, CPCB
5. Chairpersons / Member Secretaries of all SPCBs / UTPCCs

Copy to:-

1. PS to MEF
2. PPS to Secretary (E&F)
3. PPS to SS(JMM)
4. Advisor (NB)
5. Website, MoEF
6. Guard File

F. No. 320/14/2017-NSM
Government of India
Ministry of New and Renewable Energy
National Solar Mission Division
*****

Block 14, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi 110003
14th August, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on applicability of Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 on Solar PV power projects, Solar Thermal power projects and Development of Solar Parks-reg.

This is with reference to OM no. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 7th July, 2017 (copy enclosed) of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) on applicability of Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 on Solar PV power projects, Solar Thermal power projects and Development of Solar Parks.

2. MOEF&CC have clarified that the provisions of the EIA Notification, 2006 is not applicable to Solar PV power projects, Solar Thermal power projects and Development of Solar Parks, subject to such projects following the environmental and statutory stipulations made in the its OM no. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 30th June, 2011 (a copy enclosed for reference).

3. MOEF&CC have further clarified as under:

i) The disposal of PV Cell attracts the provisions of the Hazardous and Other Waste (Management and Trans-Boundary Movement) Rules, 2016.

ii) The development of Solar Parks shall attract the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(Dilip Nigam)
Adviser (NSM)
Tele/Fax: 2436 8911

To

1) Addl. Chief Secretaries/Pr. Secretaries/Secretaries (Energy/Power/Renewable Energy) of all States
2) All SPPDs

No. J-11013/41/2006-IA.II)(I)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
(Impact Assessment Division)

ALSO SENT THROUGH E-OFFICE

Paryavaran Bhawan
Jorbagh Road
New Delhi-110003

Dated: 7th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

The Ministry is in receipt of references seeking clarification on the applicability of Environment Impact Assessment Notification, 2006 on Solar Photo Voltaic (PV) Power Projects; Solar Thermal Power Plants; and Development of Solar Parks.

2. The status on non-applicability of Environment Impact Assessment Notification, 2006 on Solar Photo Voltaic (PV) Power Projects has been clarified by O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 13th May 2011. Similarly, the status on non-applicability of EIA Notification, 2006 has been clarified vide Ministry's O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 30th June 2011. This notification also stipulates the general environmental norms to be followed by such projects.

3. The matter of applicability of item 8(a), 8(b) and 7(c) of the Schedule of EIA notification, 2006 on the projects of Solar Photo Voltaic (PV) Power Projects, Solar Thermal Power Plants and Development of Solar Parks has been further examined in the Ministry. It is clarified that the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 is not applicable to the above projects subject to such projects following the environmental and statutory stipulations made in the above O.M. dated 30th June 2011.

4. It is also clarified that the disposal of Photo Voltaic Cells attracts the provisions of the Hazardous and Other Waste (Management and Trans-Boundary Movement) Rules, 2016.

5. The development of Solar Parks shall attract the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

This issues with the approval of Competent Authority

(Sharath Kumar Pallerla)
Director
sharath.kr@gov.in

Copy to:

1. **The Secretary**, Ministry of New and renewable Energy, Block No. 14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi - 110003
2. **The Secretary**, Department of Environment, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
3. **Shri. Bibhu Bishwal, Vice President**, Saurya Urja Company of Rajasthan Limited, 701-703, 7th Floor, Kailash Tower, Near Apex mall, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur - 302015

E-Office-File/Receipt No. . . .
................/ Adviser(NSM-DN)/20.
In Date............. Out Date o.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र संख्याः G 39696 / सी–3 / Noc नोडल 96 / 22 दिनांकः 13 / 12 / 2022

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7,
उ.प्र. शासन,
लखनऊ।

विषयः उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति–2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1477 / 81–7–2022, दिनांक–05.12.2022, जिसके साथ सलंग्न अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–1411 / 87–756–अति.ऊ.स्रो.वि. / 2022, दिनांक–28.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति–2022 में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण नियम के तहत स्थापना सौर संचालन की सहमति / एन.ओ. सी. प्राप्त करने में छूट के संबंध में आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोनाओं को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से सशर्त अवमुक्त किये जाने हेतु उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–जी 39691 / सी–3 / एन.ओ.सी.–नोडल / 2022, दिनांक–12.12.2022 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। उक्त कार्यादेश बोर्ड की अधिकृत वेबसाईट के URL-uppcb.com/pdf/office_131222.pdf पर उपलब्ध है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक– जी 39691/सी–3/एन.ओ.सी.–नोडल/2022, दिनांक–12/12/2022

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की "सौर ऊर्जा नीति–2022" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोनाओं को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से एतदद्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी 26144/सी–3/एन.ओ.सी.–नोडल/2018, दिनांक–19.01.2018 का अतिक्रमण कर यह आदेश दिया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "सौर ऊर्जा नीति–2022" के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड में कार्यालय ज्ञाप संख्या–G 02164/37/ARN/97, दिनांक–03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भाँति बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है–

1. "सौर ऊर्जा नीति–2022" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) माना जायेगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. "सौर ऊर्जा नीति–2022" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आव्श्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या–G 02164/37/ARN/97, दिनांक–03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

पृ0 संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव